

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 27/2019

अनवान : -

1. नैनसी पुत्री गोविन्द राम जाति अग्रवाल गर्ग निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. किरण देवी पत्नी गोविन्दराम जाति अग्रवाल गर्ग निवासी नोहर तहसील नोहर।

- वादीयान

बनाम

1. दर्शनसिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति रामगढ़िया सिख साकिन चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
2. प्रितम कौर पत्नी बूटासिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
3. गुरप्रितसिंह पुत्र बूटासिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
4. हरप्रितसिंह पुत्र बूटासिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
5. वीरसिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
6. जलकौर पत्नी चन्दासिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
7. नेकसिंह पुत्र जीतासिंह जाति रामगढ़िया सिख साकिन चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
8. बच्चनसिंह पुत्र वीरसिंह जाति रामगढ़िया सिख साकिन चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
9. मुख्यार सिंह पुत्र वीरसिंह जाति रामगढ़िया सिख साकिन चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
10. जगीर कौर पत्नी दर्शन सिंह जाति रामगढ़िया सिख साकिन चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
11. गुरनाम सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति रामगढ़िया सिख साकिन चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादीयान
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 28/06/2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 15 बरानी तहसील नोहर के खाता संख्या 62/4 की कुल 21.758 हैक्ट भूमि के वादी व प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार कास्तकार हैं।



वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है

अ अण्ड अधिकारी
नोहर

तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते हैं इसलिए हक हिस्सा व कब्जा काश्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 62/4 की कुल 21.7580 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का खाता व लगान अलग अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 12 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर पर जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 62/4 की कुल 21.7580 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

1. किरण देवी पत्नी गोविन्दराम हिस्सा 36581/49231 जाति अग्रवाल सा0 नोहर खातेदार रहन एचडीएफसी शाखा डिग, नैनसी पुत्र गोविन्दराम हिस्सा 12650/49231 जाति अग्रवाल सा0 नोहर खातेदार रहन 632/10879 हिस्सा एचडीएफसी शाखा नोहर।

313/450(84) 16/1 की 0.025, 16/2 की 0.228, 19 ता 21 की 0.759, 22 की 0.1265, 25/1 की 0.025, 25/2 की 0.228, प0न0 313/451(98) 1/0.1594, 2/0.0832, 5/1 की 0.025, 5/2 की 0.228, 6/1 की 0.025, 6/2 की 0.228, प0न0 314/450 (85) 19 ता 23 की 1.265 कुल 4.9231 हैक्ट


2. गुरनाम सिंह पुत्र हरनेक सिंह हिस्सा 37890/168349 सा0 चकसरदारपुरा खातेदार रहन एसडीएफसी शाखा रावतसर, गुरप्रीत सिंह पुत्र बूटासिंह हिस्सा 4930/168349 जाति रामगढ़िया सिख सा0 चकसरदारपुरा खातेदार रहन एसडीएफसी शाखा रावतसर, जगीरकौर पत्नी दर्शन सिंह हिस्सा 5060/168349 जाति रामगढ़िया सिख सा0 चकसरदारपुरा खातेदार, जलकौर पत्नी चन्दासिंह हिस्सा 32790/168349 जाति रामगढ़िया सिख सा0 चकसरदारपुरा खातेदार, दर्शनसिंह पुत्र अजमेरसिंह हिस्सा 8350/168349 जाति रामगढ़िया सिख सा0 चकसरदारपुरा खातेदार, पूर्णसिंह पुत्र हरनेकसिंह हिस्सा 37890/168349 जाति रामगढ़िया सिख सा0 चकसरदारपुरा खातेदार, प्रीतम कौर पत्नी बूटासिंह हिस्सा 3570/168349 जाति रामगढ़िया सिख सा0 चकसरदारपुरा खातेदार रहन एचडीएफसी शाखा रावतसर, बलकरण सिंह पुत्र हाकम सिंह हिस्सा 81705/1683490 जाति रामगढ़िया सिख सा0 चकसरदारपुरा हाल कोट धर्मू तहसील मानसा

पंजाब खातेदार, भगतसिंह पुत्र हाकमसिंह हिस्सा 81705/1683490 जाति रामगढ़िया सिख सा० चकसरदारपुरा हाल कोट धर्मू तहसील मानसा पंजाब खातेदार, मुख्तयार सिंह पुत्र वीरसिंह हिस्सा 2530/168349 जाति रामगढ़िया सिख सा. चकसरदारपुरा खातेदार, वीरसिंह पुत्र अजमेर सिंह हिस्सा 14068/168349 जाति रामगढ़िया सिख सा० चकसरदारपुरा खातेदार, हरप्रीतसिंह पुत्र बूटासिंह हिस्सा 4930/168349 जाति रामगढ़िया सिख सा० चकसरदारपुरा खातेदार रहन एचडीएफसी शाखा रावतसर

प०न० 313/450(84) 17 ता 18 की 0.506 हैक्ट, 22 की 0.1265, 23 ता 24 की 0.506, प०न० 313/451 (98) 1/0.0136, 2/0.1698, 3 ता 4 की 0.506, 7 ता 14 की 2.024, 15/1 की 0.025, 15/2 की 0.228, 16/1 की 0.025, 16/2 की 0.228, 17 ता 24 की 2.024, 25/1 की 0.025, 25/2 की 0.228, प०न० 314/450 (85) 16 ता 18 की 0.759, 24 ता 25 की 0.506, प०न० 313/452(99) 4 ता 5 की 0.506, 314/451 (97) 1 ता 25 की 6.325, 315/450 (86) 21 ता 22 की 0.506 हैक्ट, 315/451 (96) 1 ता 3 की 0.759, 8 ता 12 की 1.265, 18 ता 21 की 1.012 कुल 16.8349 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 20/6/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 27/2019

अनवान : -

1. नैनसी पुत्री गोविन्द राम जाति अग्रवाल गर्ग निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. किरण देवी पत्नी गोविन्दराम जाति अग्रवाल गर्ग निवासी नोहर तहसील नोहर।

- वादीयान

बनाम

1. दर्शनसिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति रामगढ़िया सिख साकिन चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
2. प्रीतम कौर पत्नी बूटासिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
3. गुरप्रितसिंह पुत्र बूटासिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
4. हरप्रितसिंह पुत्र बूटासिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
5. वीरसिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
6. जलकौर पत्नी चन्दासिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
7. नेकसिंह पुत्र जीतासिंह जाति रामगढ़िया सिख साकिन चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
8. बच्चनसिंह पुत्र वीरसिंह जाति रामगढ़िया सिख साकिन चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
9. मुख्त्यार सिंह पुत्र वीरसिंह जाति रामगढ़िया सिख साकिन चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
10. जगीर कौर पत्नी दर्शन सिंह जाति रामगढ़िया सिख साकिन चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
11. गुरनाम सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति रामगढ़िया सिख साकिन चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 27 सन 2019 निर्णय दिनांक - 20/06/2026

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 62/4 की कुल 21.7580 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. किरण देवी पत्नी गोविन्दराम हिस्सा 36581/49231 जाति अग्रवाल सा0 नोहर खातेदार रहन एचडीएफसी शाखा डिग, नैनसी पुत्र गोविन्दराम हिस्सा 12650/49231 जाति अग्रवाल सा0 नोहर खातेदार रहन 632/10879 हिस्सा एचडीएफसी शाखा नोहर।
313/450(84) 16/1 की 0.025, 16/2 की 0.228, 19 ता 21 की 0.759, 22 की 0.1265, 25/1 की 0.025, 25/2 की 0.228, प0न0 313/451(98) 1/0.1594, 2/0.0832, 5/1 की 0.025, 5/2 की 0.228, 6/1 की 0.025, 6/2 की 0.228, प0न0 314/450 (85) 19 ता 23 की 1.265 कुल 4.9231 हैक्ट
2. गुरनाम सिंह पुत्र हरनेक सिंह हिस्सा 37890/168349 सा0 चकसरदारपुरा खातेदार रहन एसडीएफसी शाखा रावतसर, गुरप्रीत सिंह पुत्र बूटासिंह हिस्सा 4930/168349 जाति रामगढ़िया सिख सा0 चकसरदारपुरा खातेदार रहन एसडीएफसी शाखा रावतसर, जगीरकौर पत्नी दर्शन सिंह हिस्सा 5060/168349 जाति रामगढ़िया सिख सा0 चकसरदारपुरा खातेदार, जलकौर पत्नी चन्दासिंह हिस्सा 32790/168349 जाति रामगढ़िया सिख सा0 चकसरदारपुरा खातेदार, दर्शनसिंह पुत्र अजमेरसिंह हिस्सा 8350/168349 जाति रामगढ़िया सिख सा0 चकसरदारपुरा खातेदार, पूर्णसिंह पुत्र हरनेकसिंह हिस्सा 37890/168349 जाति रामगढ़िया सिख सा0 चकसरदारपुरा खातेदार, प्रीतम कौर पत्नी बूटासिंह हिस्सा 3570/168349 जाति रामगढ़िया सिख सा0 चकसरदारपुरा खातेदार रहन एचडीएफसी शाखा रावतसर, बलकरण सिंह पुत्र हाकम सिंह हिस्सा 81705/1683490 जाति रामगढ़िया सिख सा0 चकसरदारपुरा


पंकज गढ़वाल
नोहर

हाल कोट धर्मू तहसील मानसा पंजाब खातेदार, भगतसिंह पुत्र हाकमसिंह हिस्सा 81705/1683490 जाति रामगढ़िया सिख सा0 चकसरदारपुरा हाल कोट धर्मू तहसील मानसा पंजाब खातेदार, मुख्तयार सिंह पुत्र वीरसिंह हिस्सा 2530/168349 जाति रामगढ़िया सिख सा. चकसरदारपुरा खातेदार, वीरसिंह पुत्र अजमेर सिंह हिस्सा 14068/168349 जाति रामगढ़िया सिख सा0 चकसरदारपुरा खातेदार, हरप्रीतसिंह पुत्र बूटासिंह हिस्सा 4930/168349 जाति रामगढ़िया सिख सा0 चकसरदारपुरा खातेदार रहन एचडीएफसी शाखा रावतसर

प0न0 313/450(84) 17 ता 18 की 0.506 हैक्ट, 22 की 0.1265, 23 ता 24 की 0.506, प0न0 313/451 (98) 1/0.0136, 2/0.1698, 3 ता 4 की 0.506, 7 ता 14 की 2.024, 15/1 की 0.025, 15/2 की 0.228, 16/1 की 0.025, 16/2 की 0.228, 17 ता 24 की 2.024, 25/1 की 0.025, 25/2 की 0.228, प0न0 314/450 (85) 16 ता 18 की 0.759, 24 ता 25 की 0.506, प0न0 313/452(99) 4 ता 5 की 0.506, 314/451 (97) 1 ता 25 की 6.325, 315/450 (86) 21 ता 22 की 0.506 हैक्ट, 315/451 (96) 1 ता 3 की 0.759, 8 ता 12 की 1.265, 18 ता 21 की 1.012 कुल 16.8349 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 27/06/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
नोहर